10. आप रेल मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 2004/एसी/–II/21/1 दिनांक 19–02–2004 द्वारा पुनः संरक्षित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली से शासित होगें।

11. प्रशिक्षार्थी की नियुक्ति निम्न लिखित शर्तो पर की जायेगी।

(क) प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षार्थी को किसी पद पर कम से कम पॉच वर्ष तक सेवा करनी होगी।

(ख) ऐसे कारणो के अतिरिक्त जो उसके बस के बाहर हो कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण नही छोड सकता हैं।

(ग) यदि कोई प्रशिक्षार्थी प्रशासन की सेवा के पाच वर्ष पूरे नही करता हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया हैं अथवा उसके बस के बाहर के अतिरिक्त अन्य कारणों से प्रशिक्षण छोडता हैं अथवा कोई चालाकी अपनाता हैं, तो उसे प्रशिक्षण का सम्पूर्ण व्यय एवं प्रशिक्षण काल में भुगतान किये गये बजीफे/वेतन आदि की सम्पूर्ण राशि वापस करनी होगी। प्रशिक्षण व प्रशिक्षार्थी द्वारा प्राप्त समस्त राशि का (यात्रा भत्ता को छोड कर) 12.5 प्रतिशत जोड कर सम्पूर्ण राशि माना जायेगा।

(घ) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्वा एक व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बोन्ड तथा एक मिलाजुला बोन्ड रु.100/–विशेष एडेहसिव टिकिट लगाते हुए सलंग्न प्रारुप पर भरना होगा तकि उपरोक्त शर्तो के पालन न होने पर प्रशिक्षण व्यय एवं ऊपर बताये गये के अनुसार भुगतान की गयी सम्पूर्ण राशि की वसूली की जा सके।

(ड.) पॉच वर्ष की अवधि के लिए प्रादेशिक सेवा रिजर्व में समय समय पर निर्धारित अवधि मे सेवा में जाना होगा ।

(च.) आप अपनी नियमित नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिक्षाधीन अवधि पर रहेगें।

यदि आपको उपरोक्त शर्ते मन्जूर हो तो आप इस कार्यालय में दिनांक 01/09/2014 तक व इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सहित अन्य औपचारिकता पूर्ण करने के लिए उपस्थित हो।

यदि आप आवश्यक प्रलेखों के साथ इस कार्यालय में दिनांक 01/09/2014 तक उपस्थित न हो सके तो, यह माना जाएगा कि प्रस्तावित नियुक्ति आपको स्वीकार नही है और यह प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा। इस विषय में एवं नियुक्ति एवं शर्तो सम्बन्धि किसी पर ध्यान नही दिया जाएगा ।

संलग्नः– 1. साक्ष्यकन फार्म–2
2. चरित्र प्रमाण पत्र–2
3. बन्ध पत्र

(एस.के.सिह)
मण्डल कार्मिक अधिकारी
उत्तर मध्य रेलवे, आगरा